



हिन्दु विवाह प्रथा एवं रिती रिवाज वैदिक काल से गुप्त काल : एक अध्ययन

धीरज कुमार, शोधार्थी, खुशाल दास विश्वविद्यालय पीलीबंगा, हनुमानगढ़।

डॉ० पवन कुमारी, सहायक आचार्य (इतिहास विभाग) खुशाल दास विश्वविद्यालय पीलीबंगा, हनुमानगढ़।

प्रस्तावित शोध का परिचय

विवाह एक ऐसी सामाजिक प्रथा है जिसका अस्तित्व विश्व के प्रत्येक देशों, जातियों, धर्मों में पाया जाता है। विभिन्न देशों और कालों में विवाह की इस प्रथा के स्वरूपों में भिन्नता रही है। इस भिन्नता का मूल कारण उस देश के वातावरण, सामाजिक और आर्थिक कारण हो सकते हैं।

हमारे समाज में पुरुष की प्रधानता है। शतपथ ब्राह्मण में लिखा है— पत्नी निश्चित ही पति का अर्धांश है, पत्नी के अभाव में वह पूर्ण नहीं होता है, सन्तानोत्पत्ति करने से पुरुष के पुरुषत्व का मूल्यांकन किया जा सकता है। विवाह समझौता नहीं है बल्कि यह जन्म जन्मान्तर का साथ होता है। अतः हिन्दू विवाह का आधार धर्म है। विवाह प्राथमिक रूप से कर्तव्य उत्तरदायित्व की पूर्ति के लिये होता है। हिन्दू विवाह जीवन के विभिन्न पक्षों जैसे धर्म, नैतिकता एवं आचरण की प्रमाणिकता एवं सार्थकता मिलती है, विवाह जीवन की आधारशिला है। हिन्दू विवाह के सम्बन्ध में विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग परिभाषायें दी हैं—

आर. एन. शर्मा के अनुसार हिन्दू विवाह एक धार्मिक संस्कार है। जिससे धर्म, सन्तानोत्पत्ति तथा रति के भौतिक, सामाजिक व आध्यात्मिक उद्देश्यों से एक स्त्री और पुरुष स्थायी सम्बन्ध में बंध जाते हैं।

हिन्दू संस्कृति में विवाह का महत्वपूर्ण स्थान है। विवाह ईश्वरीय इच्छा का प्रतीक है। यह सम्बन्ध सिर्फ क्षणिक स्वार्थों के लिये न हो कर जन्म जन्मान्तर के लिये होता है। हिन्दू विवाह के समय अनेक धार्मिक कार्यों एवं संस्कारों को सम्पादित किया जाता है। जो वैज्ञानिक एवं नैतिक मूल्यों पर आधारित है। मानव जीवन अनेक प्रकार के संस्कारों से परिपूर्ण है। जन्म और मृत्यु स्वयं में ही एक संस्कार माने जाते हैं। वैसे ही विवाह भी एक धार्मिक संस्कार है। "भारतवर्ष में अर्धनारीश्वर की कल्पना की गई है। इसी आधार पर विवाह को भारतवर्ष में मात्र प्राणी शास्त्रीय आवश्यकता ही नहीं माना जाता है, अपितु इसे स्त्री और पुरुष की आत्मा का मिलन माना जाता है जो दोनों में एकाकार हो जाते हैं।

हिन्दू विवाह इसलिये धार्मिक संस्कार है, कि इसका उद्देश्य स्त्री और पुरुष को आध्यात्मिक दृष्टि से पूर्ण कर देना है। जिसके परिणाम स्वरूप सुदृढ़ पारिवारिक जीवन का विकास होता है।

अंग्रेजी साहित्य के नाटककार विलियम शेक्सपियर ने भी विवाह को एक जीवन की सीढ़ी माना है। बिना विवाह के स्त्री और पुरुष एक दूसरे को समझने में असमर्थ है। विवाह के द्वारा मनुष्य अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है।

"हिन्दू विवाह को मानवीय विकास का साधन माना गया है। मनु ने कहा है जैसे सब प्राणी वायु के सहारे जीवित रहते हैं, उसी प्रकार सभी आश्रम गृहस्थाश्रम से ही जीवन प्राप्त करते हैं। विवाह के द्वारा व्यक्ति गृहस्थाश्रम में प्रवेश करता है और चार पुरुषार्थों धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति करने का प्रयत्न करता है। इन पुरुषार्थों की प्राप्ति पति और पत्नी दोनों के सांमजस्य और सहयोग से होती है।

धर्मशास्त्र में विवाह को एक संस्कार अर्थात् एक पवित्र अनुष्ठान कहा गया है। इसे लौकिक नहीं आध्यात्मिक संस्था माना गया है। इसको व्यावहारिक अनुबन्ध नहीं अपितु दो आत्माओं का पारस्परिक मिलन कहना वास्तविकता का अधिक द्योतक है। चाहे इसे लौकिक संस्था कहें या संस्कार, यह मानना पड़ेगा कि समाज में शान्तिपूर्ण व्यवस्था बनाये रखने का यह एक महत्वपूर्ण साधन होता है। अतः इसकी पावनता, पवित्रता, श्रेष्ठता और सार्थकता निर्विवाद है। गृहस्थाश्रम धर्म के पालनार्थ पत्नी की उपस्थिति वाँछनीय एवं अनिवार्य है।

विवाहोपरान्त ही मनुष्य जीवन के विस्तृत क्षेत्र में प्रवेश करता है। परिवार और वंश का उन्नयन एवं उत्थान इसी के माध्यम से होता है। इसके अन्तर्गत स्त्री और पुरुष का विकास और समाज का संयोजन इसी पर आधारित है। प्रत्येक समय में समाज ने विवाह की आवश्यकता स्वीकार की है, तथा इसे सुव्यवस्थित और सुसंस्कृत स्वरूप प्रदान करने का निरन्तर प्रयत्न किया है।

हिन्दू धर्म शास्त्रों में विवाह को धार्मिक संस्कार माना गया है। जिसमें धर्म और कार्य की प्रधानता और प्रमुखता, सामाजिकता और वैधानिकता, नैतिकता और धार्मिकता, त्याग और सार्थकता का संयोजन दिखाई पड़ता है। यज्ञ, होम, मंत्र, पाठ, देवताओं का आवाहन, वैदिक श्लोक, वैदिक ऋचायें, कुल देवी एवं कुलदेवताओं की पूजा क्षेत्रीय देवी देवताओं की पूजा एवं नदी, कुओं और वृक्षों की पूजा आदि के द्वारा वैवाहिक क्रिया को सम्पन्न किया जाता है। जिसने हिन्दू विवाह को अत्यन्त पवित्र और धार्मिक स्वरूप प्रदान किया है।



प्रस्तावित शोध के सोपान

दो हृदयों के पारस्परिक मिलन से जो मानसिक विकास सम्भव है, वह पुस्तकों के शुष्क अध्ययन से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। विवाह काम वासना की तृप्ति का साधन मात्र है, ऐसा समझना भयंकर भूल है। वह तो दो आत्माओं के, दो मस्तिष्कों, दो हृदयों और साथ ही साथ दो शरीरों के विकास, एक दूसरे में लय होने का मार्ग है। विवाह का मर्म दो आत्माओं का स्वरैक्य है, हृदयों का अनुष्ठान है, प्रेम सहानुभूति, कोमलता पवित्र, भावनाओं का विकास है। यदि हम चाहते हैं कि पुरुष प्रकृति तथा स्त्री प्रकृति का पूरा-पूरा विकास हो, हमारा व्यक्तित्व पूर्ण रूप से खिल सके तो हमें अनुकूल विचार, बुद्धि, शिक्षा एवं धर्म वाली सहधर्मणी चुननी चाहिये। उचित वय में विवाहित व्यक्ति आगे चल कर प्रायः सुशील, आज्ञाकारी, प्रसन्नचित, सरल, मिलनसार साफ सुथरे, शान्तिचित्त, वचन के पक्के, सहानुभूति पूर्ण, मधुर वाणी, आत्म विश्वासी और दीर्घजीवी पाये जाते हैं।

प्रस्तावित शोध का महत्त्व

विवाह के द्वारा स्त्री और पुरुष में मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों का बोध होता है। ऋग्वेद और अथर्ववेद में विवाह को आजीवन बनाये रखना एक कर्तव्य और उत्तरदायित्व माना गया है। वैदिक युग में पति-पत्नी का आजीवन सम्बन्ध माना जाता था। मनु के शब्दों में, जो पति है वह पत्नी है, पत्नी पति से किसी प्रकार पृथक नहीं हो सकती। दूसरे शब्दों में कहा जाये तो हिन्दू विवाह अविच्छेद है। हिन्दू विवाह में अनेक प्रकार के नियमों तथा विधि-निषेधों का पालन किया जाता है।

प्रस्तावित शोध के उद्देश्य

1. हिन्दू विवाह एवं रिति रिवाजों के महत्त्व का सामाजिक, नैतिक, मनोवैज्ञानिक एवं चारित्रिक स्तर का अध्ययन करना।
2. वैदिक कालीन विवाह व्यवस्था का अध्ययन करना।
3. वैदिक कालीन एवं गुप्त कालीन विवाह एवं रितिरिवाजों का वर्तमान परिप्रेक्ष्य में मुल्यांकन करना।

प्रस्तावित शोध का निष्कर्ष

विवाह से दो व्यक्तियों में परिवार का निर्माण होता है। जिससे पारिवारिक जीवन का विकास होता है। पति-पत्नी दोनों साथ मिलकर अनेक कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं। विवाह संस्कार के नियोजन से स्त्री और पुरुष का जीवन संगठित, सुगतिमय, एवं सुव्यवस्थित होता है। विवाह सम्पन्न कराते समय पति और पत्नी दोनों को उनके अधिकारों, उत्तरदायित्वों एवं कर्तव्यों से परिचित कराया जाता है। जिससे वह अपने जीवन का विश्लेषण कर जीवन को सार्थक एवं गरिमामय बना सके। वैवाहिक कर्मकाण्डों एवं विधि-विधानों के निष्पादन से दोनों को जीवन एवं जगत की सत्यता, त्याग मानवता, एवं रिश्तों का आभास होता है। इस प्रकार से पति-पत्नी अपना मानसिक और मनोवैज्ञानिक सन्तुलन बनाये रखते हैं। हिन्दू परिवार अन्य समाजों के परिवारों से कहीं अधिक श्रेष्ठ नैतिकमय, धर्ममय, एवं चारित्रिकमय होता है।

सन्दर्भ सूची

1. आचार्य श्रीराम शर्मा 'विवाहोन्माद: समस्या और समाधान' अंक 60 पृष्ठ सं01.6
2. आचार्य श्रीराम शर्मा वाङ्मय 'षोडश संस्कार विवेचन' अंक 33 पृष्ठ सं010.13
3. आचार्य श्रीराम शर्मा 'विवाहोन्माद समस्या और समाधान' अंक 60 पृष्ठ सं01.6
4. बाइबल, जिनीसस 2/18 पृष्ठ सं 20
5. डा० डी०एस० बघेल 'भारतीय समाज' पृष्ठ सं0177
6. डा० हरिदत्त वेदालंकार 'हिन्दू विवाह का संक्षिप्त इतिहास' पृष्ठ सं0 5